फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने - बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

19-21 का सिधान्त

मेरी एक आँख फूटे लेकिन दूसरों की दोनों फूटनी चाहियें। इस सिधान्त का प्रचलित नाम प्रतियोगिता-कम्पीटीशन है।

नई. सीरीज नम्बर 157 जुलाई 2001

जानलेवा काम

एस्कोर्ट्स मजदूर : "वर्क लोड इतना बढा रखा है कि आठ घण्टे खड़े- खडे काम में लगे रहने से हमारे पैर सूज जाते थे। लगता है कि भगवान ने एस्कोर्ट्स वरकरों की सुध ली है: ट्रैक्टरों के ढेर लग गये हैं, बिक ही नहीं रहे। ऐसे में मैनेजमेन्ट ने दो की जगह एक शिफ्ट कर दी है और अपने आप छुट्टियाँ भी देने लगी है। नौकरी की चिन्ता तो बढ गई है पर इससे हमें कुछ चैन मिला है और जान में जान आई है।"

आयशर ट्रैक्टर वरकर : "ज्यादा समय नहीं हुआ, फैक्ट्री में मजदूरों के स्वास्थ्य की जाँच करने वाले डॉक्टरों ने दिनेश जी को अव्वल दर्जे का स्वस्थ करार दिया था। श्री दिनेश पेन्ट शॉप में काम करते थे जहाँ वी.आर.एस.- छँटनी और उत्पादन- वृद्धि के सिलसिले के चलते, आयशर में अन्य डिपार्टमेन्टों की ही तरह, वर्क लोड बहुत बढा दिया गया है। रँग- रोगन करते समय गैसों के दुष्प्रभाव से होती पीड़ा पेन्ट शॉप में अतिरिक्त है। वर्क लोड और गैसों की मार से परेशान दिनेश जी इन दिनों नौकरी छोड़ने पर अक्सर विचार करते रहते थे पर 'करेंगे क्या ?' का सवाल उनके सामने मुँह बाये खड़ा हो जाता। पूर्णतः स्वस्थ दिनेश जी की 11 जून को अचानक मृत्यु हो गई। भारी वर्क लोड, गैसों और चिन्ता ने एक और मजदूर की हत्या कर दी। छह महीने भी नहीं हुये हैं, फरवरी के आरम्भ में पेन्ट शॉप के हट्टे- कट्टे वरकर, श्री मेहरबान सिंह की भी अचानक मृत्यु हो गई थी। कत्ल करने के बाद मैनेजमेन्ट जो मरहम लगाती है उसे ले कर ही कुछ लोग कम्पनी की बड़ाई करने लगते हैं तब अपने ऐसे सहकर्मियों पर रोना और गुस्सा, दोनों आते हैं।"

हाई पोलीमर लैब्स मजदूर : "खतरनाक काम है, केमिकलों का काम है। यहाँ सैक्टर-25 स्थित प्लान्टों में गैसें फैलती हैं (बगल की बस्ती तक के लोग परेशान हैं), एक्सीडेन्ट होते हैं, आग लगती है, लोग मरते हैं। कम्पनी ने दुधौला गाँव के पास फैक्ट्री लगा कर जिन्दगी से खिलवाड़ का दायरा फैला दिया है। हाजरी यहाँ लगाते हैं, काम दुधौला में करवाते हैं और फिर बेनामी वरकर, ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर ऊपर से हैं। हाई पोलीमर लैब्स के दुधौला प्लान्ट में 8 जून को फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर केमिकल मिक्स करने वाले रियेक्टर में विस्फोट हुआ। आग लग गई। पाँच मजदूरों की हत्या और 15 अस्पताल में पड़े हैं। कत्ल के बाद सरकारी साहबों ने दौरे किये। केस दर्ज किये गये। कम्पनी ने महापँचायत का प्रबन्ध किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने पँचायत में माफी माँगी। मृतकों के परिवारों को पैसे देने के बदले कम्पनी पर दर्ज सब केस वापस लेने का निर्णय महापँचायत ने सुनाया। पँचों ने कम्पनी प्रबन्धकों से गुजारिश की कि मरने के वास्ते फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाये। इति।" ■

अनुभव-विचार

फ्रिक इण्डिया मजदूर : "बहुत डर- डर कर नौकरी कर ली और चमचागिरी करके भी देख लिया – कोई फायदा नहीं। कम्पनी को जब हमारी जरूरत नहीं होती तब हमें निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। लीडर भी कम्पनी को सहयोग देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। डरने से और तलुये चाटने से हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती। इसलिये डरना छोड़ो और बचना है तो अपने ढँग से काम करो।"

जे.वी. इलेक्ट्रोनिक्स वरकर : "डर- डर कर नौकरी करते हैं। कब नौकरी से निकाल दें पता ही नहीं।"

नौनिहाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग मजदूर : "मई का वेतन आज 18 जून तक नहीं दिया है। तीन महीने के ओवर टाइम काम के पैसे भी नहीं दिये हैं। मैनेजमेन्ट कहती है कि कम्पनी की आर्थिक हालत खराब है; जब पैसे होंगे तब दे देंगे; काम करना है तो करो नहीं तो बाहर जाओ।"

जैना कास्टिंग वरकर : "सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में हम 150 मजदूर काम करते हैं – 35 परमानेन्ट और बाकी कैजुअल। कैजुअलों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते, पी.एफ. की पर्ची भी नहीं देते। इधर जनवरी से परमानेन्टों को वेतन नहीं दिया है और कैजुअलों की भी तीन महीने की तनख़ायें बकाया हो गई हैं। कम्पनी कहती है कि पैसा आयेगा तब दे देंगे, काम बन्द करना है तो कर दो बन्द। काम ढीला चल रहा है। यूनियन है।"

ए.जी.आई. मजदूर : "129 सैक्टर - 24 स्थित फैक्ट्री में हम 100 वरकर काम करते हैं – 25 परमानेन्ट और 75 कैजुअल। कैजुअलों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं, फण्ड नहीं। आज 9 जून तक किसी भी वरकर को मार्च, अप्रेल व मई की तनखायें नहीं दी हैं – कुछ को तो फरवरी का वेतन भी नहीं दिया है। मैनेजमेन्ट कहती है कि प्रोब्लम है, धीरे- धीरे ठीक हो जायेगा, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जायेगा। हम लोग और फँसते जा रहे हैं। यूनियन नहीं है पर यूनियन बनाने में तो और भी खतरा दीखता है। कहाँ जायें ? कैसे निपटें ? समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।"

सुपर बाजार वरकर : "बुरा हाल है। यहाँ से रोज दिल्ली जा कर ड्युटी करता हूँ। फरवरी से हमें तनखा नहीं दी है। चार महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं और हम माँगते हैं तो अफसर कहते हैं मिलेगी- मिलेगी।"

अर्गो आटो लिमिटेड मजदूर : "हम स्टड्स हेल्मेट बनाते थे। कम्पनी में छह महीने संघर्ष हुआ। गाड़ियों में आये मैनेजमेन्ट के गुण्डों को पीट कर भगा दिया और उनके सरदार के हाथ- पैर तोड़ दिये तब हम बहुत खुश हुये थे। फैक्ट्री के यूनियन लीडर के हाथ- पैर तोड़ दिये गये तब हम बहुत दुखी हुये थे। फिर यूनियन लीडरशिप और गुण्डों ने मैनेजमेन्ट के साथ मिल कर फैसला किया और हम वरकरों को बलि के बकरे बना दिया। मिल कर उन्होंने सब मजदूरों को नौकरी से निकालने का फैसला किया था। हम असहमत थे पर कम्पनी, उसके गुण्डों और यूनियन की तिकड़ी के सामने मजबूरन हमें हिसाब लेना पड़ा। अब हम असन्तुष्ट हैं, हम असमंजस में पड़े हैं। हम सोच- विचार कर रहे हैं। हम फिर संघर्ष करेंगे।"

स्टोरकीपर : "बारहवीं ही पास हूँ पर ओखला में एक वस्त्र एक्सपोर्ट फैक्ट्री में 7 साल स्टोरकीपर रहा हूँ। साहबों की नकल कर अपने नीचे वालों को मैं तुच्छ समझता था। नौकरी छूट गई। बेरोजगारी से त्रस्त हो गया। अब मैं एक फैक्ट्री में हैल्पर हूँ। जलालत ऐसी है कि साहबों से तू- तू, मैं- मैं हो ही जाती है। हर समय निकाल दिये जाने का खतरा रहता है। आपस में तालमेल से ही वरकरों को कुछ राहत मिलती है।" ■

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

खतों से –

एक जनम में एक मरण है, अब तक यही सुना, लेकिन हम तो एक जनम में सौ–सौ बार मरे।

–राजेन्द्र, लखनऊ

मेरठ कताई मिल

"..... मेरठ कताई मिल मजदूरों के साथ जबरदस्त अत्याचार हुआ है, जिसमें मुझ सहित 29 लोगों को 83 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। .... अखबारों की कुछ रपटें ..... { प्रशासन के दमनकारी रवैये के खिलाफ इस वर्ष 20 जनवरी को परतापुर कताई मिल से दो हजार मजदूरों का जुलूस 15 किलोमीटर पैदल चल कर मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचा। साहब नहीं थे। जुलूस जिलाधिकारी निवास गया। वायरलैस खड़के : ' कताई मिल के मजदूरों ने जिलाधिकारी निवास पर कब्जा कर लिया है और अनेक लोगों को प्राणघातक हमले में घायल कर दिया है।' तत्काल भारी तादाद में पुलिस व पी.ए.सी. गाड़ियों में पहुँची और नारे लगा रहे दो हजार में से 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी की तरफ से एक स्टैनो के जरिये थाने में 307, 323, 504, 506, 427, 332, 353, 412., 147 व 149 धाराओं के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिलाधिकारी ने गिरफ्तार किये गये 29 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा करार दे कर उन्हें बिना जमानत वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेज दिया। कताई मिल मजदूरों पर अत्याचार का विरोध करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बन्द किये 29 लोगों को जेल में तीन महीने होने को आये तब हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड ने 11 अप्रेल को जिलाधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया। जिलाधिकारी निवास में घुस कर प्राणघातक हमला करने व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे में मेरठ के स्पेशल जज स्वतन्त्र कुमार ने 13 अप्रेल को फैसला सुनाया। सब 29 आरोपियों को बरी करते हुये स्पेशल जज ने इस मामले में रपट दर्ज कराने वाले कलक्टर के स्टैनो के खिलाफ अदालती कार्रवाई में जालसाजी व जानबूझ कर झूठी गवाही देने का केस दर्ज करने का आदेश दिया।} "

– भरत, आर्थिक आजादी आन्दोलन, मेरठ

यहाँ खून पानी ही बनता रहा है
कल–पुर्जा बन जीवन यूँ गलता रहा है।

– उमेश 'रवि', बक्सर

इंडिया टुडे

"देश की पत्र–पत्रिकाओं में इंडिया टुडे एक प्रतिष्ठित नाम है .... 25 साल पहले आप्रवासी भारतीयों के लिये शुरू की गई यह पत्रिका आज एक ताकतवर मीडिया समूह बन गया है जिसका सालाना कारोबार 300 करोड़ रुपये है। लेकिन इस सुन्दर चेहरे में एक ऐसा चेहरा भी छुपा हुआ है जो अपने कर्मचारियों के प्रति क्रूर और अमानवीय शोषण का पर्याय है। आप यह जान कर चकित रह जायेंगे कि : 1) इसके साथ शुरू से जुड़े हुये 100 से अधिक कर्मचारी आज भी अपनी नौकरी के नियमित किये जाने की बाट जोह रहे हैं। .... 2) कम्पनी ने अपने नियमित कर्मचारियों को भी भारत सरकार द्वारा स्थापित मणिसाना वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 1995 से अंतरिम राहत नहीं दी है और अब सरकार द्वारा मँजूर नये वेतनमान भी लागू नहीं कर रही है।... हमने अपनी माँगें विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिये प्रकाशित करनी चाही, मगर इंडिया टुडे की ताकत और पहुँच हमारे रास्ते में आड़े आ रही है। ...."

– इंडिया टुडे यूनियन, दिल्ली

" .... धर्म की बात कहें तो सच कहना चाहिये पर आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ धर्म कम और धर्मसंकट अधिक होता है। .... आज के दौर में युवा पीढी यदि अपने आप को झूठ के दामन से बचाये तो यही काफी है।"

– चन्द्र मौलेश्वर, अलवाल (आँध्र प्रदेश)

उम्मीद और प्यार

".... बंगलौर में रहने के दौरान मुझे एक विषय में दिलचस्पी हो गई है। यहाँ, आँध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तकरीबन 300 किसानों ने पिछले तीन वर्षों में आत्महत्या कर ली है। मुझे यह भी पता चला है कि पिछले दो वर्षों में पँजाब के दक्षिणी इलाके में भी करीब 100 किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या का कारण अक्सर यह बताया जाता है कि फसल खराब हो गई, कम या अधिक हो गई और कर्ज हो गया। कुछ किसानों ने अपनी किडनी (गुर्दा) भी बेच दी। ... मैं अपने पापा से जिद्द करके ये कहानी बार–बार सुनती थी। ये कहानी उम्मीद और प्यार की कहानी है।...

' एक गाँव में एक आदमी ने किसी का खून कर दिया। उसे मुकदमे के बाद उम्रकैद की सजा हो गई। उम्रकैद भी 14 सालों की होती है। 14 सालों के बाद उस आदमी के छूटने का दिन आ गया। उसने बड़ी उम्मीद से अपनी बीवी और बच्चों को एक खत लिखा। उसने उस खत में लिखा कि मैं छूट रहा हूँ, तुम लोगों से मिलने और साथ रहने की बहुत इच्छा है पर डरता हूँ कि कहीं तुम लोग मुझे अस्वीकार न कर दो। मैं फलाँ तारीख को गाँव के बाहर वाले पीपल तक आऊँगा, अगर तुम लोगों को मैं स्वीकार हूँ तो गाँव के बाहर वाले पीपल पर एक पीला रुमाल बाँध देना। जिस दिन उस आदमी को जेल से छुट्टी मिली वह एक बस में सवार हो गया जो उस गाँव तक जाती थी। वह आदमी उदास था, उसकी उदासी देख कर सहयात्री भी उदास हो गये। जैसे–जैसे गाँव करीब आता गया उदासी और बेचैनी बढती गई। जब गाँव आ गया तो लोगों को पीपल दिखा ही नहीं क्योंकि पीपल की हर एक शाख पर एक पीला रुमाल बँधा था, इतने रुमाल बँधे थे कि पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहा था।' "

– कार्तिका, बंगलौर

और बातें यह भी

क्लच आटो मजदूर : "आज 14 जून तक हमें मई का वेतन नहीं दिया है। इधर 10 घण्टे प्रतिदिन की ड्युटी और सप्ताह में 5 दिन काम का नोटिस कम्पनी ने लगाया है।"

इन्जैक्टो वरकर : "आज 20 जून हो गई है और कम्पनी ने मई की तनखा हमें नहीं दी है।"

मेल्कों प्रिसिजन मजदूर : " प्लाट 4 सैक्टर–27 ए स्थित फैक्ट्री में मई का वेतन हमें आज 16 जून तक नहीं दिया है।"

मितासो वरकर : " प्लाट 63 सैक्टर–6 स्थित फैक्ट्री में मई की तनखा 15 जून को जा कर दी। कम्पनी ने वी.आर.एस. लगाई है पर कहने को ही स्वैच्छिक है, जबरन नौकरी से निकाल रहे हैं।"

आटोलैम्प मजदूर : " इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में मई का वेतन आज 18 जून तक हमें नहीं दिया है।"

नूकेम वरकर : " मथुरा रोड़ स्थित नूकेम मशीन टूल्स फैक्ट्री में फरवरी, मार्च, अप्रेल और मई की तनखायें कम्पनी ने आज 20 जून तक हमें नहीं दी हैं।"

चाँद इन्डस्ट्रीज मजदूर : " एक नम्बर में 7 बी स्थित फैक्ट्री में हम 150 वरकर काम करते हैं। मई का वेतन आज 18 जून तक हमें नहीं दिया है। साठ के करीब जो कैजुअल हैं उन्हें पीस रेट के बहाने मैनेजमेन्ट 1200 रुपये महीना वेतन देती है।"

सुरभि इन्डस्ट्रीज वरकर : " सैक्टर–25 स्थित फैक्ट्री में 40 परमानेन्ट मजदूर हैं। ठेकेदारों के जरिये कम्पनी ने 110 वरकर रखे हैं जिन्हें ई.एस.आई. कार्ड व फण्ड की पर्ची नहीं देते और महीने के मात्र 1400 रुपये देते हैं।"

डी.पी. आटो मजदूर : " प्लाट 228 सैक्टर–24 स्थित फैक्ट्री में लैट्रीन–बाथरूम में कीड़े बिलबिलाते हैं। हैल्परों को कम्पनी 1150 रुपये महीना तनखा देती है।"

मोडरम इन्डस्ट्रीज वरकर : " प्लाट 5 बी सैक्टर–6 स्थित फैक्ट्री में हम 125 मजदूर काम करते हैं। पचास परमानेन्ट हैं जिन्हें महीने के 1800 रुपये देते हैं और 75 कैजुअलों को 1200–1300 रुपये महीना। चोट लगने पर डिपार्टमेन्ट में ही ग्रीस लगा कर पट्टी कर देते हैं।"

सुपर ऑयल सील मजदूर : " दिल्ली बार्डर पर स्थित फैक्ट्री में 5 महीनों से तनखा नहीं दी है। वेतन माँगने पर कम्पनी ने 7 मजदूर सस्पेन्ड कर दिये। फैक्ट्री में 15 मई से उत्पादन

(बाकी पेज तीन पर)

सीमाहीन है हेराफेरी

अम्बिका इन्डस्ट्रीज मजदूर : " मथुरा रोड़ पर नार्दर्न इण्डिया कम्पलैक्स स्थित फैक्ट्री में हम 50 मजदूर काम करते हैं। हमें ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं और प्रोविडेन्ट फण्ड की पर्ची भी हमें मिलती है। मैनेजमेन्ट हम से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन पर, 1965 रुपये पर हस्ताक्षर करवाती है लेकिन हमें देती 1300 रुपये महीना ही है।"

मकिनो (इण्डिया) लिमिटेड वरकर : " बदरपुर के पास मोहन कोआपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एरिया डी–II प्लाट नं. 42 स्थित फैक्ट्री में हम 250 मजदूर काम करते थे। सरकार से इजाजत ले कर कम्पनी ने 170 मजदूरों की छँटनी कर दी, अब वहाँ 80 ही बचे हैं। मैं 6 साल से कम्पनी में लगातार काम कर रहा था और नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ मैंने दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में शिकायत डाली। छह साल की बजाय कम्पनी ने मुझे 2 साल से सर्विस में दिखाया और श्रम विभाग अधिकारियों की जेबें गरम कर मेरा नाम भी छँटनी वालों में रखा।"

विंग्स आटोमोबाइल मजदूर : " डेढ साल ही हुआ है जब प्रोविडेन्ट फण्ड फार्म भरवाने के नाम पर बरसों से काम कर रहे वरकरों को ठेकेदारों के वरकर बना दिया था। हड़ताल- वड़ताल में 27 को बाहर करने पर 45 ही परमानेन्ट बचे थे। ठेकेदारों वाले के नाम से रखे मजदूरों को ई.एस. आई. कार्ड नहीं देते, पी.एंफ. के पैसे वेतन में से काटते हैं पर निकाल देते हैं तब फण्ड से पैसे निकालने का फार्म भर कर नहीं देते। अब जून के आरम्भ में कम्पनी दिल्ली से गुण्डे लाई और फैक्ट्री में मजदूरों पर हमला करवाया। दस दिन से फैक्ट्री में उत्पादन बन्द है और सब मजदूर बाहर हैं।"

सीमेन्ट रिसर्च वरकर : " मथुरा रोड़ स्थित संस्थान में ठेकेदार के जरिये रखे हम 17 मजदूरों को मई का वेतन आज 20 जून तक नहीं दिया है। वैसे भी हस्ताक्षर हम से 1965 पर करवाते हैं पर देते 1750 रुपये महीना ही हैं। कहते हैं कि ई.एस.आई. व प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे वेतन में से काटते हैं। लेकिन हमें ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं और फण्ड दफ्तर से पूछने पर हमें पता चला है कि हमारे भविष्य निधि के पैसे जमा नहीं करते। संस्थान के अधिकारियों से हम शिकायत करते हैं पर कोई असर नहीं पड़ता।"

केल्विन इन्टरप्राइज मजदूर : " दिल्ली में ई–8 हौज खास स्थित फैक्ट्री में हम 31 वरकर चमड़े के दस्ताने बनाते थे। यहाँ फरीदाबाद में सैक्टर–27 ए में प्लाट 18 स्थित अलपाइन एप्परेल्स तथा प्लाट 67 स्थित इनपैक्स फैक्ट्रियों की शाखा थी केल्विन इन्टरप्राइज। हम 6 वर्ष से काम कर रहे थे पर न तो हमें ई.एस.आई. कार्ड दिये थे और न प्रोविडेन्ट फण्ड की पर्ची। डेढ साल पहले हम ने एक यूनियन का पल्लू पकड़ा। मेम्बर बने तब 170- 170 रुपये दिये और फिर हर महीने 5- 5 रुपये तथा बीच में एक बार 12- 12 रुपये भी दिये। यूनियन के जरिये की एक शिकायत 25.4.2001 को कम्पनी पहुँची। अगले रोज, 26 अप्रेल को सुबह हम ड्युटी के लिये पहुँचे तब कम्पनी बन्द मिली – कहा कि प्रदूषण वाले बन्द कर गये। यूनियन ने दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में शिकायत की और वहाँ तारीखें पड़ रही हैं पर कम्पनी पहुँचती ही नहीं। अप्रेल माह का वेतन भी हमें आज 14 जून तक नहीं दिया है। कम्पनी तोड़- फोड़ में लगी है और हम 31 में से 12 को यहाँ फरीदाबाद में लगा लिया है।"

अरस्टन इण्डिया लिमिटेड वरकर : " डी एल एफ फेज II में प्लाट 125 स्थित फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। एक सौ वरकरों में से 6- 7 परमानेन्ट हैं और बाकी सब ठेकेदारों के जरिये रखे हैं। हैल्परों को 1200- 1400, वैल्डरों को 1800- 2000 और प्रेस आपरेटरों को 1400- 1600 रुपये महीना वेतन देते हैं। लाइन सिस्टम है और इन पाँच वर्षों में उत्पादन तीन गुणा बढा दिया है, काम का बोझ तिगुणा कर दिया है। ओवर टाइम के लिये जबरन रोकते हैं और पेमेन्ट सिंगल रेट से करते हैं। पैसों में 200- 300 रुपये की गड़बड़ हर महीने कर देते हैं।" ■

आईना

कॉमेट हाइड्रोलिक्स मजदूर : " सैक्टर- 24 में 36, 72 और 321 नम्बर प्लाटों में कॉमेट, हरित पम्प्स और शरण्स इंजिनियरिंग नाम से फैक्ट्रियाँ हैं। कुल 150 मजदूर हैं जिनमें से 140 कैजुअल हैं – नाम कहीं लिखते हैं, काम कहीं करवाते हैं। दरअसल, वंरकरों की चार कैटेगरी बना रखी हैं: 1) परमानेन्ट, 2) सेमी- परमानेन्ट, 3) कैजुअल, और 4) जिनका नाम ही नहीं होता। परमानेन्टों को छोड़ कर किसी को भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते। कुछ की हाजरी कच्चे कागजों पर और कुछ की पक्के रजिस्टर में लगाते हैं। कुछ को वाउचर पर तनखा देते हैं, कुछ को 6 महीनों तक पक्के रजिस्टर पर देते हैं। जिनको तनखा पक्के रजिस्टर पर देते हैं उनसे टिकट लगा कर दस्तखत तो 1950 रुपये पर करवाते हैं लेकिन अन्य की ही तरह देते 1425- 1500 रुपये महीना ही हैं। रजिस्टर पर नाम वालों का फण्ड जमा करवाते हैं पर कम्पनी वाला हिस्सा भी मजदूर की तनखा में से काट लेते हैं। ई.एस.आई. के पैसे काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। तीनों प्लाटों में मजदूरों के लिये लन्च करने की जगह नहीं हैं। सीवर जाम हो जाते हैं और लैट्रीन बदबू मारती हैं। श्रम विभाग, ई.एस.आई. और पी.एफ. के अधिकारी आमतौर पर आफिस से ही खा- पी कर चले जाते हैं। कभी- कभार यह साहब प्लान्टों में अन्दर जाते हैं तो ऐसा करने से पहले कम्पनी उन कैजुअलों को दूसरे गेट से बाहर निकाल देती है जिनकी हाजरी कच्चे कागजों पर लगाती है। हाँ, हर महीने साबुन की एक- एक चक्की कम्पनी सब को देती है।" ■

और बातें यह भी...(पेज दो का शेष)

बन्द है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर लीडरों ने फैक्ट्री गेट पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करवाई है।"

एस्कोर्ट्स वरकर : " सब प्लान्टों में काम ढीला है। दोनों शिफ्टों के वरकरों को एक शिफ्ट में बुला रहे हैं। पुरानी माँगों को ले कर यूनियन लीडरों ने कारपोरेट आफिस के गेट पर क्रमिक अनशन शुरू किया हुआ है।"

आटोपिन मजदूर : " इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में आजकल काम ढीला है, कम्पनी को ज्यादा उत्पादन की जरूरत नहीं है। इसलिये अब जबरन ओवर टाइम पर नहीं रोकते लेकिन काम नहीं होता तब जबरन छुट्टी करते हैं और .... और हम से लिखवाते हैं कि आवश्यक कार्य के लिये मुझे छुट्टी दी जाये। मई की तनखा कम्पनी ने हमें आज 30 जून तक नहीं दी है।"

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

✶ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।

✶ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये।

✶ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये- पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं और 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें और अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी. फरीदाबाद–121001

परत-दर-परत

जी.के.एन. ड्राइव शाफ्ट मजदूर : " पहले कम्पनी का नाम इनवेल ट्रान्समिशन था। सरकारों की भारी-भरकम टैक्सों की राशि , बैंकों का ब्याज और कम्पनी के साहबों के कट-कमीशन चुकाने के बाद वाले कम्पनी के मुनाफे को दुगना करने की योजना बन्द कमरों में बनी। केन्द्र व राज्य सरकारों, बैंकों और साहबों की वसूली के बाद पिछले साल कम्पनी के हिस्से में तीन करोड़ पचास लाख रुपये आये थे और दिसम्बर 2001 में इसे दुगना कर सात करोड़ रुपये करने की कम्पनी योजना बनी। योजना को अमली रूप देने के लिये कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नये मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की।

" कम्पनी की योजना को वास्तविकता में बदलने का मतलब वरकरों पर वर्क लोड में भारी वृद्धि के संग-संग मजदूरों की छँटनी करना भी है। इसके लिये नये एम.डी. की अगुवाई में जाल बुना गया और घटनाओं को देख कर लगता है कि तीन-साला एग्रीमेन्ट को मैनेजमेन्ट ने हम पर हमले का जरिया बनाया है।

" पहली जनवरी 2001 से नया तीन-साला एग्रीमेन्ट लागू होना था। नवम्बर 2000 में यूनियन ने डिमान्ड नोटिस दिया। मैनेजमेन्ट-यूनियन मीटिंगें शुरू हुई। कम्पनी ने अपना 9-पाइन्ट चार्टर दिया जिसके ज्यादातर पाइन्ट यूनियन ने मान लिये। दिसम्बर से मैनेजमेन्ट ने उत्पादन बढाने की बात की और मैनेजमेन्ट-यूनियन सहमति से कुछ जगह प्रोडक्शन बढाया भी गया – जैसे केज लाइन पर कई मशीनों पर। लेकिन मैनेजमेन्ट ने उत्पादन बढाने की कोई मात्रा नहीं बताई , वृद्धि का कोई प्रतिशत नहीं माँगा। एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट के आई.ई. नोर्म्स की ही तरह के एक नये शब्द , एफ.टी.एफ. (फ्लोर टू फ्लोर) प्रोडक्शन हर मशीन पर की रट कम्पनी लगाये रही। फरवरी में मैनेजमेन्ट ने ऑपरेटरों को हटा कर स्टाफ मेम्बरों को मशीनों पर खड़ा किया। पानी-पेशाब तक बन्द कर स्टाफ से काम करवाया पर वे वरकरों से ज्यादा उत्पादन नहीं दे सके और जो प्रोडक्शन किया उसमें 60 प्रतिशत तक रिजेक्शन।

" मैनेजमेन्ट ने एक बड़ा पँगा लिया। तोड़-फोड़ का आरोप लगा कर 14 फरवरी की पूरी नाइट शिफ्ट को सस्पेन्ड किया और ए व बी शिफ्ट के वरकरों के लिये शर्तों पर हस्ताक्षर को फैक्ट्री-प्रवेश के लिये अनिवार्यता घोषित किया। पहले तो हम ने शर्तों पर दस्तखत करने से मना कर दिया और एक दिन सब वरकर फैक्ट्री से बाहर रहे। हमारे बीच विचार-मन्थन हुआ। वी. एक्स. एल. , नूकेम मशीन टूल्स आदि फैक्ट्रियों के वरकरों के इस तरह हस्ताक्षरों के जाल में फँस कर नुकसान उठाने के उदाहरण हमारे सामने थे। जनरल बॉडी मीटिंग में शर्तों पर दस्तखत कर फैक्ट्री में जाने का फैसला हम ने किया। अब मुड़ कर देखने पर: ऐसा करके हम ने मैनेजमेन्ट का एक जाल काट दिया था।

" कम्पनी पँगे पर पँगे लेने लगी। मई के आरम्भ में यूनियन के चुनाव हुये और प्रधान व सचिव नये लोग बने। मई के आरम्भ में ही एक दिन मैनेजमेन्ट ने एक ऑपरेटर से 300 की जगह 450 पीस का उत्पादन देने को कहा। वरकर ने मर-खप कर 30-40 पीस बढाये भी पर अगले दिन दुर्व्यवहार का आरोप लगा कर उसे सस्पेन्ड कर दिया गया। यूनियन ने पत्र द्वारा मैनेजमेन्ट से 15 मई को 3.20 से 3.40 तक का 10-10 मिनट प्रति शिफ्ट का टाइम गेट मीटिंग के लिये माँगा। गेट मीटिंग आरम्भ होते ही मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री गेट अन्दर से बन्द करवा दिया। 'फैक्ट्री में जाना है तो शर्तों पर दस्तखत करो' वाला जाल कम्पनी ने फिर बिछाया था। यूनियन ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और हम सब मजदूरों का फैक्ट्री में प्रवेश बन्द हो गया।

" शर्तों वाले भड़कावे के बाद कम्पनी ने कैजुअल वरकरों को अन्दर ले जाना आरम्भ कर हमें और भड़काया। मार-पीट और पुलिस केस हम पर थोप कर कम्पनी ने हमारे 5 साथियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया तथा 16 को सस्पेन्ड कर दिया। पुलिस की छत्रछाया में स्टाफ व कैजुअल वरकर यहाँ तथा धारूहेड़ा प्लान्ट में जा रहे हैं। अखबारों में कम्पनी ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रखा है। श्रम विभाग अधिकारी , पुलिस अफसर और डी.सी. साहब मैनेजमेन्ट की भाषा बोल रहे हैं। अदालत ने भी कम्पनी के पक्ष में फैसला दिया है। श्रम विभाग में मीटिंगों में यूनियन द्वारा शर्तों पर हस्ताक्षर करने की बात मान लेने पर मैनेजमेन्ट ने नई शर्तें जोड़ दी: 21 मजदूरों को बाहर छोड़ कर ड्युटी जाओ ; पहले तीन-साला एग्रीमेन्ट करो ; .....

" दरअसल , कम्पनी ने गुपचुप तैयारी कर हम पर हमला बोला है। छह सौ सैट ड्राइव शाफ्ट प्रतिदिन बनाती जी के एन कारों के ड्राइव शाफ्टों की भारत में प्रमुख निर्माता है – दूसरे नम्बर पर डेल्फी कम्पनी काफी पीछे है। मारुति में हड़ताल के समय भी यहाँ पूरा उत्पादन हुआ और कम्पनी चुपचाप माल स्टॉक करती रही। इस प्रकार उत्पादन की तत्काल जरूरत समाप्त करके ही कम्पनी ने पँगे ले कर उत्पादन बन्द करवाया है। जानबूझ कर प्रोडक्शन रुकवाया गया है।

" हमारे यहाँ एक बढिया बात यह है कि फरीदाबाद प्लान्ट तथा धारूहेड़ा प्लान्ट के मजदूरों के बीच तालमेल है। यहाँ और धारूहेड़ा में 15 मई से हालात एक जैसे हैं। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि हमें फैक्ट्री से बाहर किये हुये समय के बढने के साथ कम्पनी की ताकत बढती जा रही है। हमें फैक्ट्री से बाहर किये महीना हो गया तब 15 जून को मैनेजमेन्ट ने वी.आर.एस. का नोटिस लगा कर कम्पनी योजना के छँटनी वाले भाग को भी उजागर कर दिया। नाम स्वैच्छिक का है पर डरा कर , बहका कर , दबाव डाल कर नौकरी छुड़वाने की कसरत जारी है। इस सिलसिले में मैनेजमेन्ट ने कल , 22 जून को नोटिस लगाया कि वी.आर. एस. के लिये 12 आवेदन आये हैं जिन्हें कम्पनी ने स्वीकार कर लिया है।

" एक बात बिल्कुल साफ है : तारीखों पर भरोसा कर सरकारी विभागों में भाग-दौड़ और फैक्ट्री गेट पर ताश खेलते रहने से तो हम कमजोर ही पड़ेंगे। हमें नये तरीके अपनाने होंगे। हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे हमारी शक्ति बढे और कम्पनी कमजोर पड़े। "■

चमक-दमक के पीछे

व्हर्लपूल मजदूर : " मेन्टेनैन्स कार्य का मैं एक अनुभवी मजदूर हूँ। छह महीने का प्रोबेशन पत्र दे कर व्हर्लपूल कम्पनी ने मुझे भर्ती किया। तीन महीने बीते थे कि मेरे चाचाजी की मृत्यु का तार मिला। मैंने विभाग प्रमुख को सूचना दी और छुट्टी माँगी। साहब द्वारा छुट्टी मँजूर करना तो दूर रहा , उल्टे गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे। रत्ती-भर इन्सानियत भी नहीं है , इन्हें बस काम चाहिये देख कर मैंने तत्काल व्हर्लपूल की नौकरी छोड़ दी और गाँव गया। "

वी जी इन्डस्ट्रीयल इन्टरप्राइज वरकर : " 31 बी इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में मारुति और एस्कोर्ट्स के पार्ट्स बनते हैं। यहाँ ऑपरेटर व हैल्पर 6-7 ठेकेदारों के जरिये रखे जाते हैं। हैल्परों को 1200-1300-1500-1700 रुपये महीना देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते। प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं , ई. एस. आई. कार्ड नहीं। पावर प्रेस का बहुत काम है – एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं। उँगलियाँ कटती हैं , हाथ कटते हैं। एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरते। प्रायवेट में पाँच नम्बर में डॉ. बी.के. शर्मा अस्पताल में इलाज करवाते हैं और फिर निकाल देते हैं। उँगलियाँ कटे तीन ही किसी तरह से ड्युटी कर रहे हैं – घाव भरने के बाद नई भर्ती दिखा कर कम्पनी ने उनके ई.एस.आई. कार्ड बनवाये। शियरिंग मशीन से एक वरकर का पहुँचे पर से हाथ कटा। प्रायवेट में डॉ. शर्मा के यहाँ इलाज करवाया और फिर उसे ड्युटी पर रखा – 6 महीने। कुछ दिन उस वरकर से कम्पनी में काम करवाया , कुछ दिन घर पर और फिर घर पर से उसे निकाल दिया। "■

कहत कबीर

रुपये-पैसे की आवश्यकता
जितनी ज्यादा घटायेंगे....
....उतनी ही अपने लिये
जगह बढायेंगे।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरू ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।